# बी एस एफ ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसायटी जयपुर (राजस्थान)
## मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल

1. इस समिति का नाम **'बी एस एफ ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसायटी जयपुर (राजस्थान)'** होगा और इसका पंजीकृत पता होगा –

वाहिनी मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल
गॉव – लबाना,
तहसील – आमेर,
जिला – जयपुर (राजस्थान)
पिन – 303002

2. इस समिति का कार्यक्षेत्र ग्राम बिलौची एवं चौप, तहसील आमेर, जयपुर तक होगा ।

3. **परिभाषाएं** –

क) अधिनियम का तात्पर्य राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 2001 से होगा ।

ख) नियमों का तात्पर्य राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 2003 से होगा ।

ग) रजिस्ट्रार से तात्पर्य राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति से है तथा उनमें रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित हैं जो कि रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों अथवा उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करें ।

घ) वर्ष का तात्पर्य सहकारी वर्ष से होगा, जैसा कि राजस्थान सहकारी संस्था नियमों में परिभाषित है।

ड) सरकार का तात्पर्य राजस्थान सरकार से होगा ।

च) प्रबंधक समिति का तात्पर्य उस समिति से होगा जो उपनियमों के अन्तर्गत समिति के प्रबन्ध संचालन हेतु गठित की गई हो ।

छ) समिति का तात्पर्य बी एस एफ ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसाइटी जयपुर, राजस्थान होगा ।

4. **उदेश्य** –

बी एस एफ ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसायटी जयपुर (राजस्थान) निम्नलिखित उदेश्य पूर्ति के लिए कार्य करेगी--

क) अपने सदस्यों को भूखंड का प्रबंध करना एवं विकसित कर के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करवाना ।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार (ग्रामीण) सहकारी समितियाँ जयपुर

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

(कार्यकारी)

ख) समिति के सदस्यों के लिए प्रदान भूमि का नक्शा तैयार करना एवं संबंधित नगर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करवाना । तत्पश्चात सदस्य आवंटित प्लॉट में भवन निर्माण प्रबंधक समिति की निगरानी में स्वीकृत नक्शों अनुसार स्वयं कर या करा सकेगा ।

ग) सदस्यों के सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन व शारीरिक विकास के लिए व्यवस्था करना।

घ) जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त भू–खण्ड को विकसित करना, जिसमें मास्टर प्लान सक्षम अधिकारी से पास होने के बाद भू–खण्ड का समतलीकरण ,आन्तरिक रोड एवं प्लाटिगं इत्यादि करवाना ।

ड़) समिति नगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त समस्त भू–खण्ड का आवंटन कब्जा समिति के सदस्यों में भूखण्ड के पंजीकरण से तीन माह के भीतर कर दिया जायेगा ।

च) समिति के सदस्यों को भूखण्ड देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवंटित भूमि में से 60 एकड. भूमि का प्रावधान किया गया है । उसी में से सदस्यों को भू.खण्ड आवंटित किये जायेगें। यदि कुछ परिवर्तन होगा तो समिति के आम सभा के प्रस्ताव की रोशनी तथा प्रवन्धक कमैटी की मंजूरी एवं रजिस्टार सहकारी समितियां सहकार भवन जयपुर की अनुमति के बाद ही कदम उठाये जायेगें।

5. **सदस्यता –**

'सीमा सुरक्षा बल ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसायटी जयपुर (राजस्थान) के निम्नलिखित सदस्य बन सकते हैं । यदि वह –

क) सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत कर्मचारी हो ।

ख) सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व सदस्य या उसका वैधानिक वारिस/उत्तराधिकारी जिसका आचरण अच्छा हो और जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो और जो अनुबन्ध करने योग्य हो ।

ग) समिति के पंजीकरण हेतु सदस्यों की संख्या कम से कम 50 व अधिकतम 1700 होगी । किन्तु बाद में सदस्यता वृद्वि समिति के पास उपलब्ध भूखण्ड की संख्या, वित्तीय संसाधन इत्यादि को देखकर कम या ज्यादा की जा सकती है ।'

घ) प्राथमिक सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र देगें एवं रुपये 110/– (रुपये एक सौ दस) मात्र प्राथमिक सदस्यता शुल्क के रुप में जमा करायेगा जो कि वापिस देय नहीं (non-refundable) होगा। यह राशी 22 फरवरी तक समिति के कार्यालय मे पहुँचना आवश्यक होगी तथा 28 फरवरी तक समिति द्वारा मांगी गई प्रराम्भिक राशि भिजवाना होगा । इस के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा । उक्त विषय पर विशेष परिस्थितियों मे प्रबन्धक समिति/अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों से सदस्यों को अवगत करा दिया जायेगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा ।

ड) सदस्यता के आवेदन पत्र पर समिति की कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी वह अन्तिम होगा । आवेदन पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार जैसा भी हो कि सूचना आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर समिति आवेदक को सूचित कर देगी । यदि आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया हो तो उपरोक्त समयावधि में कारणों सहित प्रार्थी को सूचित किया जायेगा । यदि उपरोक्त अवधि में समिति निर्णय नहीं लेती है या अपने निर्णय से आवेदक को सूचित नहीं करती तो आवेदक 30 दिन की समयावधि समाप्त होने के बाद 60 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति राजस्थान, जयपुर को अपील कर सकता है । रजिस्ट्रार का निर्णय समिति व आवेदक दोनों को मान्य होगा।

च) प्रत्येक सदस्य को प्रवेश से पूर्व एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह समिति के समस्त वर्तमान उपनियमों एवं समय समय पर किये गये परिवर्तनों व परिवहदनों से प्रतिबन्धित होगा ।

छ) कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार का उपयोग तभी कर सकेगा जब उसने प्राथमिक सदस्यता शुल्क रु. 110/– जमा करवा दिये हों ।

ज) समिति द्वारा विशेष परिस्थिति मे स्थायी सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति को समिति का नाम मात्र का सदस्य बनाया जा सकता है और उसे उस स्थायी सदस्य के ऐसे दायित्वों का भागी होना होगा जो सरकारी अधिनियम, नियम व इन उपनियमों में निर्दिष्ट किये जाये ।

झ) नाम मात्र सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिनसे समिति लेनदेन कर सकेगी ।

ट) सदस्यों एवं समिति के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रबंधक समिति एवं रजिस्ट्रार के समक्ष निपटारा किया जायेगा।

ठ) सदस्यों द्वारा झूठा शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी और उसकी अंश जमा राशि का कुछ हिस्सा या पूर्ण हिस्सा भी जब्त किया जा सकता है । इस तरह के निर्णय लेने का विशेषाधिकार प्रबंधक समिति के पास होगा।

ड) समिति के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह समिति के पंजीकृत उपनियमों की एक प्रति निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है ।

ढ) प्रत्येक सदस्य को स्वयं से संबंधित समिति के लेख अभिलेख तथा रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार निशुल्क प्राप्त होगा ।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार (ग्रामीण) सहकारी समितियाँ जयपुर

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

(12)

6. **सदस्यता से निष्कासन –**

निम्नलिखित परिस्थितियों में साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई 3/4 के बहुमत से किसी भी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा :-

क) यदि वह अपने प्रति देय राशि को जमा न कराने का लगातार दोषी हो ।

ख) यदि उसने जानबूझ कर गलत शपथ पत्र / कागजात प्रस्तुत करके समिति को गुमराह किया हो या हानि पहुँचाई हो ।

ग) यदि वो ऐसा कार्य करे जिससे समिति को अथवा उसके हितों को हानि पहुँचती हो।

ध) यदि वह जानबूझकर ऐसा कार्य करे जिससे समिति की साख खराब होती है।

च) यदि वह आवंटित भूखण्ड का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य (residential purpose) से न करते हुए अनुचित रीति से उपयोग करे।

छ) यदि वह आवंटित भूखण्ड में अथवा उसमें बनाये गये भवन में ऐसा कार्य करे जो सामाजिक दृष्टि से लज्जाप्रद हो ।

ज) परन्तु ऐसे किसी भी सदस्य का निष्कासन मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को निष्कासन सम्बधित प्रस्ताव की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व्यक्तिगत रुप से या रजिस्ट्री द्वारा न दी गई हो तथा सदस्य को समिति के समक्ष अभयावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो ।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जयपुर (ग्रामीण)

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

7. **सदस्यता की समाप्ति** –

निम्नलिखित स्थिति में सदस्यता समाप्त समझी जायेगी –

क) सदस्य की मृत्यु बगैर किसी कानूनी वारिस के होने पर ।

ख) प्रबन्धक समिति द्वारा सदस्य का त्याग पत्र स्वीकृत करने पर ।

ग) समिति द्वारा तीन चौथाई 3/4 के बहुमत से निष्कासित करने पर ।

8. **सदस्यों का दायित्व** –

समिति के ऋणों के प्रति सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्सों या हिस्सों की बकाया राशि तथा उन हिस्सों के मूल्य के पॉच गुना तक सीमित होगा ।

9. **पूँजी** –

आवश्यक पूँजी निम्नलिखित स्त्रोतों से एकत्रित की जायेगी –

– प्रवेश शुल्क

– हिस्सा पूँजी अर्थात अंश बेचकर

– राज्य सरकार से प्राप्त हिस्सा राशि एवं अनुदान

– सदस्यों से प्राप्त अमानत (डिपोजिट्स)

– राज्य सरकार या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त ऋण

– चन्दे या अन्य शुल्क

– समिति द्वारा निर्मित सडकों की मरम्मत, जल प्रदाय, विद्युत वितरण व्यवस्था एवं समस्त प्रकार के विकास हेतु प्राप्त राशि या इन साधनों से प्राप्त आय ।

10. समिति के कार्य संचालन से संबधित समस्त कार्यों से सर्वोच्च अधिकार साधारण सभा में निहित होंगे । साधारण सभा की बैठक समय–समय पर और कम से कम वर्ष में एक बार समिति के कार्य संचालन हेतु आवश्यक होगी ।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जयपुर (ग्रामीण)

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

11. समिति की विशेष साधारण सभा उसकी प्रबन्धकारिणी द्वारा किसी भी समय आवश्कतानुसार बुलाई जा सकती है ऐसी बैठक रजिस्ट्रार अथवा समिति के कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 1/5 सदस्यों द्वारा मांग करने पर समिति की प्रबन्धकारिणी एक माह के अन्दर बुलाई जायेगी । यदि उक्त अवधि में बैठक नहीं बुलाई गई तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और उसके द्वारा बुलाई गई बैठक समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा बुलाई गई समझी जायेगी ।

12. प्रत्येक सदस्य को साधारण सभा की बैठक के लिए निश्चित तारीख से कम से कम 07 दिन पूर्व स्थान, समय, तारीख एवं विचारणीय विषयों को उल्लेख करते हुए नोटिस दिया जायेगा साथ ही वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन हानि, लाभ व संतुलन चित्र की प्रति, नादेहान सदस्यों की सूची जिसमें मूल व ब्याज आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।

13. साधारण सभा का कोरम उस समय कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी तथा उसी दिन दोबारा समय निश्चित कर साधारण सभा की बैठक होगी । स्थगित सभा का एजेंडा पूर्ववत् ही रहेगा । तथा कोई नया विषय शामिल नहीं किया जायेगा । ऐसी स्थिति में निर्धारित कोरम का आधार नहीं रहेगा ।

14. वार्षिक साधारण सभा सहकारी वर्ष की समाप्ति पर नियमों के अधीन वर्ष के लेखे तैयार करने के लिये निश्चित तिथि के तीन माह के भीतर बुलाई जायेगी । साधारण सभा में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जायेगा –

क) आगामी वर्ष के लिए प्रबन्धक समिति द्वारा तैयार किये गये समिति के कार्यकलापों, कार्यक्रमों का अनुमोदन करना ।

ख) मनोनीत सदस्यों के अलावा प्रबन्धकारिणी के सदस्यों का चुनाव यदि कोई हो ।

ग) ऑडिट रिपोर्ट व वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना ।

घ) शुभ लाभ वितरण करना ।

च) अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित करना ।

छ) अन्य ऐसे मामले जो इन उपनियमों के अनुसार साधारण सभा में विचार करने आवश्यक हो ।

ज) प्रबन्धक समिति के सदस्यों का चुनाव राजस्थान सहकारी नियम मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में करवाया जायेगा।

15. क) प्रत्येक सदस्य को समिति के मामलो मे एक मत देने का अधिकार होगा चाहे उसने कितने ही अंश क्रय किये हो परन्तु नामित सदस्यों को मत देने का अधिकार नही होगा।

ख) मत विभाजन की स्थिति मे निर्णय बहुमत से होगा परन्तु बराबर मत होने की अवस्था मे अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जयपुर (ग्रामीण)

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

16. साधारण सभा एवं विशेष साधारण सभा की बैठक में लिये गये निर्णयों की कार्यवाही बैठक होने के 48 घण्टे के अन्दर लिखी जायेगी जिस पर अध्यक्ष व समिति के मंत्री के हस्ताक्षर होगें।

17. **प्रबन्धक समिति** :–

समिति के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक समिति पर होगा जिसमे कुल 25 सदस्य होगें। इसके अलावा 03 व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा मनोनित किये जा सकते हैं।

18. प्रबन्धक समिति के सदस्य अपने में से निम्नलिखित पदाधिकारियों का चयन करेंगे –

– एक अध्यक्ष
– एक उपाध्यक्ष
– एक कोषाध्यक्ष
– एक मंत्री

19. प्रबन्धक समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा परन्तु कार्यरत प्रबन्धक समिति रजिस्ट्रार की अनुमति से तब तक कार्य करती रहेगी जब तक दूसरी प्रबन्धक समिति का गठन नहीं हो जाता।

20. निर्वाचित सदस्यों के पद के आकस्मिक रिक्त हो जाने पर उसकी पूर्ति उप चुनाव द्वारा की जायेगी ।

21 कोई सदस्य प्रबन्धक समिति के सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं माने जायेगा, यदि वह –

क) 21 वर्ष से कम आयु का हो ।

ख) दिवालिया घोषित हो या दिवालिया घोषित होने का प्रार्थी हो ।

ग) मानसिक रोग से पीडित हो ।

घ) किसी नैतिक पतन के अपराध में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो ।

च) समिति में किसी प्रकार का लाभ का पद धारण करता हो ।

छ) यदि वह व्यक्ति प्रोपर्टी डीलर हो या इस प्रकार के कार्य मे सलंग्न हो ।

22. **प्रबन्धक समिति के सदस्य की समाप्ति –**

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रबन्धक समिति की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, यदि –

क) उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो गई हो या वह समिति की बकाया हिस्सा राशि अदा न करने का लगातार दोषी हो।

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)

ख) वह अनैतिक कार्य या अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

ग) वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या दिवालिया घोषित होने का प्रार्थी हो ।

ध) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाये ।

च) वह समिति के अधीन किसी लाभ के पद को स्वीकार कर ले ।

छ) वह जानबूझ कर समिति को हानि पहुँचाने का कार्य करने का दोषी पाया गया हो।

ज) वह प्रबन्धक समिति की लगातार पॉच बैठकों में बिना कुछ बताये अनुपस्थित रहा हो ।

झ) वह 3 माह से अधिक अवधि के लिए समिति का ऋण न चुकाने का दोषी हो ।

ट) उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया हो ।

ठ) ऐसी अयोग्यता जो सरकारी अधिनियम, नियम व उपनियमों में निर्धारित की गई हो, धारण कर लेता हो ।

23. समिति के कार्यों के संचालन हेतु प्रबन्धक समिति की आवश्यकतानुसार बैठक होगी लेकिन तीन माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है । प्रबन्धक समिति की बैठक हेतु 07 दिन का नोटिस देना होगा और उसमें सभा स्थल, समय व विचारणीय विषयों का उल्लेख होगा ।

24. प्रबन्धकारिणी बैठकों का कोरम 8 सदस्यों का होगा । कोरम के आभाव में बैठक एक सप्ताह में पुनः बुलाई जायेगी और उसमें केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा जो पूर्व बैठक के लिये प्रस्तावित थे । नये विषयों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

25. प्रबन्धक समिति के विचार विमर्स एवं निर्णय को रजिस्टर में बैठक समाप्ति के 48 धण्टे के अन्दर अंकित की जायेगी । जिस पर सभा के अध्यक्ष व मंत्री के हस्ताक्षर होंगे ।

26. **प्रबन्धक समिति के अधिकार एवं कर्तव्य** –

प्रबन्धक समिति को उन अधिकारों के अतिरिक्त जो साधारण सभा के लिये विशेष रुप से नियम किये हो उदेश्यों की पूर्ति के लिए संचालन के सम्पूर्ण अधिकार होंगे, किन्तु उसमें से वे अधिकार नहीं होंगे जिन पर साधारण सभा में अथवा उन उपनियमों में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया हो ।

27. प्रबन्धक समिति के सदस्यों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे –

क) अपने में से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष का चुनाव करना।

ख) सदस्यता प्राप्त करने हेतु आमंत्रित आवेदनों पर निर्णय लेना ।

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

ग) समिति के किसी भी वैतनिक कर्मचारी (व्यवस्थापक) को छोडकर नियुक्ति करना, पदमुक्त करना, हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना, परन्तु व्यवस्थापक की नियुक्ति, पदमुक्ति या अन्य प्रकार से दण्डित करना रजिस्ट्रार की स्वीकृति से होगा । कर्मचारियों की जमानत प्रस्तुत करने के आदेश देना।

ध) ऋण, अमानत व अन्य स्त्रोतों से समिति की पूँजी का वार्षिक साधारण सभा द्वारा निश्चित सीमा तक वृद्धि करना ।

च) भूमि खरीदना, विनियम पर लेना, रखना बेचना, अदला--बदली करना, किराये पर देना, पट्टे या उप पट्टे पर विनियम देना, भूमि खरीदने के लिए समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

छ) सदस्यों द्वारा अंश राशि, भू--खण्डों एवं भवनों के हस्तान्तरण की स्वीकृति देना, प्रबन्धक समिति की अनुमति से पॉच वर्ष पश्चात् इस प्रकार का हस्तान्तरण किया जा सकेगा ।

ज) सदस्यों को अंश आवंटित करना ।

झ) उप विभाजन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सदस्यों को भू--खण्ड आवंटित करना ।

ट) जल वितरण, रोशनी, जल निकास एवं इसी प्रकार के सामाजिक उपभोग के अन्य कार्यों की सुविधा की व्यवस्था करना ।

ठ) निर्माण कार्यों के ठेके देना ।

ड) सदस्यों द्वारा निर्मित भवनों के परिवर्तन एवं अभिवृद्वि की स्वीकृति प्रदान करना ।

ढ) भूखण्डों के विभाजन की योजना पर स्वीकृति देना यदि ऐसा करना समिति की मूल योजना के विपरीत न हो तथा उप विभाजन मानचित्र नगरपालिका/न्यास/प्राधिकरण से अनुमोदित हो ।

ण) अधिनियमों, नियमों व इन उप नियमों के अन्तर्गत होने वाली सभाओं की व्यवस्था करना एवं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट, हिसाब का चिट्ठा (30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष का) एवं अन्य कागजात जो सदस्यों या रजिस्ट्रार द्वारा चाहे गये हो प्रस्तुत करना है ।

त) समिति के वार्षिक आय--व्यय एवं लेखा का प्रकाशन करना ।

थ) समिति, प्रबन्धक समिति, या किसी भी सदस्य को जिसे समिति के कार्यों के लिए नियुक्त किया गया हो, के द्वारा या उसके विरुद्व वैधानिक कार्यवाही का संचालन करना, बचाव करना, समझौते करवाना, वापस लेना या पंच निर्णय हेतु सौपने की कार्यवाही करना ।

अध्यक्ष
स.एफ. ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

कोषाध्यक्ष
ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी

द) ऋणों, अमानतों एवं अन्य प्रकार से प्राप्त पूँजी पर ब्याज की दर तय करना ।

न) भवन निर्माण या अन्य तरीकों से समिति की भूमि पर अनाधिकृत कराने के मामले में कार्यवाही करना।

प) भवनों व भूखण्डों को विक्रय मूल्य व मूल्य व किराया तय करना ।

फ) सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करना ।

ब) सदस्यों की अंशराशि, भूखण्ड एवं त्रृण हेतु प्रार्थना पर विचार करना और त्रृणों के लिए प्रस्तुत जमानत को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना।

भ) हिस्सा राशि का भुगतान, निर्माण संबंधी रकम, किराये एवं त्रृणों पर नियन्त्रण करना एवं वसूली हेतु उचित व्यवस्था करना ।

म) यह देखना है कि ऋणों का उपयोग उसी उदेश्य की पूर्ति हेतु हो रहा है जिसके लिये ऋण स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं ।

य) मंत्री के द्वारा किये गये खर्चों के सहित अन्य फुटकर व्यय की स्वीकृति देना ।

र) समिति की धन एवं सम्पति की प्राप्ति, व्यय और सुरक्षा की व्यवस्था करना ।

ल) समिति की भूमि एवं भवनों के उपयोगकर्ताओं के लिये नियम बनाना ।

व) रजिस्ट्रार और उसके सहायकों द्वारा की गई जॉच व अकेंक्षण संबंधी टिप्पणीयों पर विचार एवं कार्यवाही करना ।

श) समिति द्वारा सदस्यों के सामूहिक हित की योजनाओं को चलाना जैसे स्कूल, पार्क, औषधालय, वाचनालय आदि ।

ष) साधारण सभा का कार्य संचालन एवं उसके लिए अधिनियम और नियम एव उपनियम के अनुसार व्यवस्था करना ।

स) ऐसे अन्य कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा निर्धारित किये गये हो ।

ह) प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर वार्षिक लेखे तैयार करके रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त ऑडिटर को उक्त अवधि में ऑडिट के लिये प्रस्तुत करना व ऑडिट करवाना, प्रबन्धकारिणी समिति का विशिष्ट दायित्व होगा । ऐसा न करने पर सहकारी अधिनियम की धारा–36 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

राधबाला

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

बी.एस.एफ. ... सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जयपुर

क्ष) समिति के रिकॉर्ड को समिति के पंजीकृत कार्यालय में रखना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा निर्धारित कार्य दिवस को नियमित रुप से निर्धारित समय पर कार्यालय खोला जाएगा । समय व कार्य दिवस को नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जायेगा व समिति द्वारा समस्त सदस्यों को इसकी जानकारी दी जायेगी ।

त्र) समिति भविष्य में उसकी प्राथमिक/स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत योजना तथा प्रस्तावित योजना के अतिरिक्त कोई नई योजना नहीं बनायेगी ।

ज्ञ) समिति के सदस्य को समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड पर भवन का निर्माण नगर विकास प्राधिकरण/संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नक्शा स्वीकृति की तिथि से निश्चित अवधि में करना होगा । अन्यथा भूखण्ड निश्चित समयावधि के बाद निरस्त करने का अधिकार संबंधित सहकारी समिति का होगा । ऐसे निर्णयों की पुष्टि आम सभाओं द्वारा किया जाना आवश्यक होगा । ऐसे निर्णयों का अनुमोदन रजिस्ट्रार सहकारी समिति से कराना आवश्यक होगा ।

कक) समिति के समस्त सदस्य भू–खण्ड धारी को आवंटन पत्र/लीज डीड (पट्टा) का पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालयों में करवाया जाना आवश्यक होगा । जिसके आधार पर नगर विकास प्राधिकरण स्थानीय निकाय द्वारा नक्शों का अनुमोदन किया जा सके । इसके अतिरिक्त लीजडीड/आवंटन पत्र के हस्ताक्षर को भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन करना अनिवार्य होगा और इसकी सूचना रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ को दी जायेगी कि सहकारी समिति रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से लीजडीड/आवंटन पत्र रद्द कर सकेगी ।

खख) समिति के समस्त रिकॉर्ड को सुरक्षित करने एवं निरीक्षण/जॉच/ऑडिट के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करवाने की व्यक्तिगत जिम्मेवारी समिति के सचिव/मंत्री की होगी ।

गग) समिति को राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स फेडरेशन लि0 जयपुर का सदस्य बनना अनिवार्य होगा ।

धध) संस्था प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने सदस्यों की सूची तैयार करेगी व प्रति वर्ष आम सभा में सभी सदस्यों की जानकारी हेतु सदस्यों की सूची प्रकाशित करेगी तथा इसकी एक प्रमाणिक प्रतिलिपि संबंधित उप सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी ।

चच) समिति अपना बैंक खाता प्राथमिकता से सहकारी बैंकों में ही खोलेगी ।

छछ) जिन समितियों में राज्य सरकार का हिस्सा राशि विनियोजित होगी उनमें रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान की समिति प्रबंधकारिणी में अधिकतम दो सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा।

जज) प्रत्येक वर्ष समिति की साधारण सभा का आयोजन व रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा लेखों को ऑडिट कराना अनिवार्य होगा ।

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

28. **प्रबंधक समिति** –

प्रबंधक समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें एवं उनके अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे–

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

कोषाध्यक्ष ... सोसायटी

29. **अध्यक्ष** – अध्यक्ष मूल नियंत्रणकर्ता एवं प्रबन्ध अधिकारी होगा । वह समिति की सभी सभाओं की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा उस सभा की अध्यक्षता के लिए चुना जाये, अध्यक्षता करेगा वह यह देखेगा कि समिति का कार्य सुचारु रुप से चल रहा है । संकटकाल मे समिति के वैतनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित करने व दण्डित करने का अधिकार होगा । किन्तु इसकी स्वीकृति आगामी प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में लेनी होगी। अध्यक्ष के विरुद्व कोई कार्यवाही करने से पूर्व रजिस्ट्रार से स्वीकृति लेनी होगी ।

क) उपरोक्त वर्णित सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त अध्यक्ष या मंत्री के प्रतिवेदन पर अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा किसी सदस्य को कोई कार्य करने से रोक सकेगा एवं उस निषेधाज्ञा से वह सदस्य जब तक प्रतिबन्धित होगा जब तक कि वह निषेधाज्ञा वापिस न ले ली जाये । ऐसी आज्ञा की स्वीकृति आगामी प्रबन्धकारिणी की बैठक में लेनी होगी ।

ख) यदि सदस्य निषेधाज्ञा की तामील से बचने का प्रयास करें या उसकी अवेहलना करें तो अध्यक्ष निषेधाज्ञा का पालन करवानें हेतु आवश्यक कदम उठायेगा जो उसकी दृष्टि से उचित हो ।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जयपुर (ग्रामीण)

30. **उपाध्यक्ष** :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे या उसके द्वारा लिखित रूप मे अधिकार दिये जाने पर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग कर सकेगा।

31. **मंत्री** :–

मंत्री के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होगें :–

क) समिति एवं प्रबन्धक समिति की सभाओं को आमंत्रित करना एवं उसमें भाग लेना।

ख) सभाओं की कार्यवाही पुस्तिका में लिखकर अथवा लिखवाकर उन पर हस्ताक्षर करना तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाना।

ग) अधिनियम, नियम एवं उप नियम के अनुसार समिति की समस्त पुस्तिकाओं कागजों को सही एवं पूर्ण रखने तथा समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना अथवा करवाना और सहकारी विभाग के अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मागे जाने पर अविलम्ब प्रस्तुत करना।

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मन्त्री / सचिव
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

घ) समिति के समस्त रिकॉर्ड की सुरक्षा एवं देखरेख करना ।

ड़) यदि किसी कारणवश कार्यालय का स्थान परिवर्तन करना आवश्यक हो जाये तो ऐसा करने के लिए रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

प्रबंधक समिति उक्त विषय पर कारण एवं औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव पारित करे तब उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ जिन पर अध्यक्ष एवं मंत्री के हस्ताक्षर हो तथा क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण हो, स्वीकृति हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र के साथ भेजा जायेगा । उक्त प्रस्ताव पर यदि अनुमति प्राप्त हो जाती है तो रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुमोदित प्रति को समिति के उपनियमों के साथ संलग्न कर रखा जायेगा। समिति के कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को एवं समिति के समस्त सदस्यों को पत्र द्वारा एवं दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचित करवाया जायेगा एवं इसकी एक प्रति समिति के पंजीकृत कार्यालय पर चिपका दी जायेगी।

च) उपरोक्त प्रक्रिया अपनाये बिना यदि कार्यालय स्थान का परिवर्तन किया जाता है या किया हुआ है तो इस अपराध के लिये मुख्य रूप से मंत्री उत्तरदायी होगें साथ ही सम्पूर्ण प्रबन्धकारिणी समिति इसके लिये दोषी होगी।

छ) प्रति वर्ष जुलाई माह मे पिछले वर्ष (जो 30 जून को समाप्त हुआ) का चिट्ठा एवं समिति का वार्षिक प्रतिवेदन एवं समस्त कागजात जो रजिस्ट्रार या प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किये गये हो आदि तैयार करवाना अथवा करना।

ज) अंश प्रमाण पत्रों व रसीदों पर हस्ताक्षर करना।

झ) यह देखना कि समिति की भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जा तो नही कर रहा है। और यह देखना कि सदस्यों द्वारा गृहो का निर्माण समिति द्वारा निर्धारित योजना एवं नियमो के अनुसार हो रहा है।

ट) साधारण सभा समिति के समस्त कार्यो की देख रेख करना।

ठ) ऐसे अन्य कार्य करना जिसको करने के लिये प्रबन्धक समिति ने अधिकृत किया हो।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जयपुर (ग्रामीण)

अध्यक्ष
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

मंत्री
बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
जयपुर (राजस्थान)

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

सोसायटी

32. **कोषाध्यक्ष** :–

समिति की समस्त धनराशि प्राप्त कर अपने अधिकार मे लेना और प्रबन्धक समिति मंत्री, अध्यक्ष या अन्य अधिकृत व्यक्ति के निर्देशानुसार व्यय करना । समय–समय पर अपने स्वयं के पास प्रबन्धक समिति द्वारा निर्धारित सीमा तक धनराशि रखना तथा शेष राशि अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक मे जमा कराना।

33. **प्लॉटों का वितरण** :–

क) यदि सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है जिससे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्लॉट के आकार एवं पिलिंथ एरिया के अनुसार भी प्लॉट कम होते हैं, उस परिस्थिति में आवटन लॉटरी द्वारा किया जाएगा ।

ख) निर्धारित प्लॉट संख्या को भी लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाएगा ।

ग) किसी भी सदस्य को समिति से प्राप्त प्लाट को बेचने का अधिकार 3 वर्ष तक नही होगा । समिति की सहमति एवं निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद अनुमोदित व्यक्ति को हस्तान्तरण किया जा सकेगा। उक्त संबंध मे अन्तिम निर्णय समिति का होगा ।

घ) सदस्य भवन हेतु जो प्लाट समिति से लेगें उनका प्रबन्धक समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य प्रारम्भ नही करने की स्थिति में उन्हे प्लाट समिति को वापस लौटाना पड़ेगा, जिसके बदले सदस्य द्वारा प्राप्त धनराशि दी जायेगी । समिति को यह अधिकार होगा कि लौटाया हुआ प्लॉट किसी अन्य सी0 सु0 बल कर्मचारी को वरियता सूची के आधार आवंटित कर दे ।

34. प्लॉट आवंटित होने पर सदस्य अपने भवन का निर्माण स्वयं करेंगे ।

35. समिति द्वारा आवंटित प्लॉट पर सदस्यों को तीन वर्ष (03) के अन्दर भवन निर्माण आरम्भ करना होगा अन्यथा इस भू–खण्ड को जब्त करने का अधिकार समिति को होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् निर्माण शुरू करने पर सदस्य द्वारा भू–खण्ड की मूल कीमत का 3% दर से वार्षिक आधार पर जुर्माना (Penalty) सहकारी समिति कार्यालय को देय कर निर्माण किया जा सकेगा ।

36. विशेष परिस्थितियों में समिति की प्रबन्धकारिणी समयावधि मे छूट प्रदान कर सकती है।

37. प्लॉट जब्त करने की दशा मे सदस्य को उसके द्वारा जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा और उक्त राशि लौटाने से पूर्व समिति का बकाया राशि उस रकम मे से काट ली जायेगी।

अध्यक्ष

मन्त्री

बी.एस.एफ. ग्रुप
जयपुर

निरीक्षक (कार्यकारी)
सहकारी समितियाँ
जयपुर (ग्रामीण)

Registered this day the 25/2/...1990

सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जयपुर ग्रामीण



38. सभी भवन समिति द्वारा स्वीकृत किये हुए नक्शों के अनुसार ही बनाये जायेगें। यदि भवन समिति द्वारा स्वीकृत नक्शों के विपरीत बनाया जाता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि यह निर्माण कार्य रोक दें।

39. यदि कोई सदस्य समिति द्वारा पास/स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण करना चाहता है तो उसे अलग से समिति के माध्यम से उक्त नक्शा संबंधित नगरपालिका/न्यास से स्वीकृत करवाना आवश्यक होगा।

40. प्रबंधक समिति द्वारा समिति के विकास जैसे पानी, बिजली, नालियॉ, रोड आदि के सम्बन्ध मे यदि कोई कार्य करें तो वह ऐसा शुल्क जो उचित हो सदस्यों से वसूल कर सकती है। जिसे देना प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक होगा।

41. **ऋण** :–

सीमा सुरक्षा बल ग्रुप हाउसिंग सहकारी सोसायटी जयपुर (राजस्थान)' द्वारा किसी प्रकार का गृह निर्माण कर्ज देने का प्रस्ताव नही है, परन्तु भविष्य मे यदि प्रबन्धकारिणी समिति इस पर निर्णय करती है तो उसके लिये अलग से उपनियम जारी किये जायेगें।

42. **विवाद** :–

विवाद जो समिति की रचना, प्रबन्ध या कारोबार, गृह निर्माण आवटन आदि से संबंधित हो राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी संस्था के उप रजिस्ट्रार के मार्फत हल किये जायेगें।

43. **विविध** :–

अन्य बातें, जिनका उल्लेख इन उपनियमों मे नही किया गया हो, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार की जायेगी।

उपरोक्त उपनियम हमने पढ, सुन व समझ लिये हैं जो हमें मान्य है :–

1. ______________ अध्यक्ष (अध्यक्ष, बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी जयपुर (राजस्थान))
2. ______________ उपाध्यक्ष
3. ______________ मंत्री (सचिव, बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी जयपुर (राजस्थान))
4. ______________ कोषाध्यक्ष (कोषाध्यक्ष, बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग जयपुर (राजस्था))
5. ______________ सदस्य – 1
6. ______________ सदस्य – 2
7. ______________ सदस्य – 3
8. ______________ सदस्य – 4
9. ______________ सदस्य – 5
10. ______________ सदस्य – 6
11. ______________ सदस्य – 7
12. ______________ सदस्य – 8
13. मूलचन्द ______________ सदस्य – 9
14. Sumer Singh ______________ सदस्य – 10
15. ______________ सदस्य – 11
16. ______________ सदस्य – 12